झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–603 वर्ष 2017

चंदेश्वर प्रसाद .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. कोल इंडिया लिमिटेड अपने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, कोलकाता के माध्यम से

2. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, रांची के माध्यम से

3. निदेशक (कार्मिक) सी0आई0एल0, कोलकाता

4. निदेशक (कार्मिक) मेसर्स सी0सी0एल0, रांची

5. महाप्रबंधक, कथारा क्षेत्र, सी0सी0एल0 बोकारो .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री विकाश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री ए0के0 दास, अधिवक्ता के ए0सी0

7 / 27.02.2019 याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने इस रिट एप्लिकेशन में निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:–

''(क) संदर्भ सं0 सी0आई0एल0 / भी0आई0जी0 / 2016 / 35026 / 12 / 694 में दिनांक 21.06.2016 के आदेश को रद्द करने के लिए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

(ख) प्रत्यर्थियों को सभी पारिणामिक लाभों के साथ या अनुकल्पी रूप से याचिकाकर्ता को पुनः बहाल करने के निर्देश के लिए, प्रत्यर्थियों पर विभागीय कार्यवाहियों को बहाल करने के लिए जो उनके विरूद्ध आरोप ज्ञापन दिनांक 25.11.2014 के द्वारा आरम्भ किया गया और पुनःबहाल करने पर, याचिकाकर्ता के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामले के अंतिम निपटारे तक उसे स्थगित रखने के लिए निर्देश।

3. बहस के दौरान, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 21.06.2016 की सजा के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अपील, कोल इंडिया लिमिटेड के समक्ष लंबित है। वे प्रस्तुत करते हैं कि अपील का आज की तारीख तक निपटान नहीं किया गया है।

4. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह पर्याप्त होगा कि यदि कोल इंडिया लिमिटेड को जल्द से जल्द अपील का निपटान करने के लिए निर्देश दिया जाए।

5. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि अपील लंबित है, इसलिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इसका निपटान किया जाएगा।

6. पार्टियों के निवेदनों पर विचार करते हुए, मैं प्रतिवादी संख्या 1–कोल इंडिया लिमिटेड को याचिकाकर्ता की अपील पर विचार करने एवं इस आदेश कीएक प्रति की प्राप्ति या प्रस्तुती करने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर उसका निपटान करने का निर्देश देता हूँ।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि, प्रतिवादी संख्या 2 इस आदेश को प्रतिवादी संख्या 1 को सूचित करेगा।

8. उपरोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ, इस रिट आवेदन का निपटान किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)